**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 600**

**उत्तर देने की तारीख : 28.11.2024**

**कौशल आधारित प्रशिक्षण**

600. **श्री संजय उत्तमराव देशमुखः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवाओं को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) क्या किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा यवतमाल जिले में प्रशिक्षण देने का ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यवतमाल जिले के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कितने प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं और कौन-कौन से प्रस्ताव अनुमोदन के अंतिम चरण में हैं; और

(घ) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कार्यक्रम के अंतर्गत यवतमाल जिले के लिए किसी गैर-सरकारी संगठन का चयन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा करंदलाजे)**

(क) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अपने संगठनों के माध्यम से युवाओं के लिए कौशल और कौशल-उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। ये प्रशिक्षण विभिन्न स्कीमों के तहत प्रदान किए जाते हैं जैसे:

(i) उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)

(ii) प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) स्कीम

(iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब

(iv) कॅयर विकास योजना-कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना

(v) नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन हेतु स्कीम (एस्पायर)

(vi) खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) स्कीम

(vii) पीएम विश्वकर्मा स्कीम

(ख) से (घ) : वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान मंत्रालय को यवतमाल जिला के संबंध में किसी गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) से कौशल आधारित प्रशिक्षण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****